रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241107
SG-DL-E-15122022-241107

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 392
No. 533] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944 [N. C. T. D. No. 392

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना और प्रचार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 14 दिसंबर, 2022

फा. सं. 6(7)/2014–15/डीआईपी/स्था./10561.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा. सं. 27/59–एचआईएम(प) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वरिष्ठ फोटोग्राफर के पद के भर्ती नियमों से संबंधित इस सरकार की दिनांक 08 दिसम्बर 1981 की अधिसूचना फा. सं. 2(44)/81/एस. II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **'वरिष्ठ फोटोग्राफर'** के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(1) इन नियमों को वरिष्ठ फोटोग्राफर भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3 **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि**:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचाव**:—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ फोटोग्राफर
2.	पदों की संख्या	:	* 01 (2022) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित, वर्ग 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर—6 (35400—112400/— रूपए)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मेट्रिक्स के स्तर —5 (29200 — 92300/—रूपए) में और विभाग द्वारा यथानिर्धारित 2 से

	प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है।		4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फोटोग्राफर। **टीप :** जहां अर्हक / पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केन्द्र / राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सांविधिक या स्वायत्त निकाय / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त संस्थानों के अंतर्गत अधिकारी :– **(क)** (1) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200–92300 / –रूपए) के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष ; तथा **(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले :** **अनिवार्य :** (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से फोटोग्राफी में एक वर्ष का डिप्लोमा। (3) किसी समाचार एजेंसी या प्रतिष्ठित समाचार पत्र या सरकारी विभाग में फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** फोटो / वीडियो एडिटिंग साफ्टवेयर पर कार्य करने का अनुभव। **टीप–1 :** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप–2 :** केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समितिः– 1. सचिव–सह–आयुक्त (विकास)–अध्यक्ष 2. सचिव (जन संपर्क)–सदस्य 3. विशेष / अपर सचिव (सा.प्रशा.विभाग)–सदस्य समूह'ख' विभागीय स्थाईकरण समितिः 1. सचिव–सह–आयुक्त (विकास)–अध्यक्ष

			2. सचिव (जन संपर्क)—सदस्य 3. विशेष / अपर सचिव (सा.प्रशा.विभाग)—सदस्य (टीप : यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थाईकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राम निवास शर्मा, निदेशक

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY

NOTIFICATION

Delhi, the 14th December, 2022

F. No.6(7)/2014-15/DIP/Estt/10561.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No.F.27/59-HIM(i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's notification No. F. 2(44)/81/-S.II dated the 8th December, 1981 relating to the recruitment rules for the post of Senior Photographer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules for the post of **'Senior Photographer'** in the Directorate of Information and Publicity, Government of National Capital Territory, Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement:-**(i) These rules may be called the Senior Photographer Recruitment Rules, 2022.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in Pay Matrix:-**The number of said post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:-**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-**Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post.	:	Senior Photographer.
2.	Number of Posts.	:	1 (One)* (2022) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	:	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group 'B'.
4.	Level in the Pay Matrix.	:	Level-6 (Rs.35400-112400)/-
5.	Whether Selection or Non-Selection post.	:	Selection Post.
6.	Age-limit for direct recruits.	:	Not applicable.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	:	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	:	Two years.
10.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	By promotion failing which by deputation (including Short Term Contract).
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	:	**Promotion:** Photographer in Level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix with six years regular service in the grade and having successfully completed training of 2 to 4 weeks as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for the promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation (including Short Term Contract):** Officer under the Central/State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/recognised Universities/recognised Institutes:- **(A)** (I) holding analogous posts on regular basis in parent cadre/department; or (II) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs.29200-92300) in Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and **(B) possessing the following educational qualifications and experience:** **Essential:** (I) Graduate from a recognised University. (II) One year Diploma in Photography from a recognized university/institute. (III) Two years experience in Photography in a News Agency or Newspaper of repute or in a Government Department. **Desirable:** Experience of working on photo/video editing software. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

			Note 2: Period of deputation (including Short Term Contract) including period of deputation (including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	:	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Secretary-cum-Commissioner (Development) - Chairperson. 2. Secretary (PR) - Member. 3. Special/Addl. Secretary (GAD) - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Secretary-cum-Commissioner (Development) - Chairperson. 2. Secretary (PR) - Member. 3. Special/Addl. Secretary (GAD) - Member. (Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By order and in the name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAM NIWAS SHARMA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.15 16:33:46 +05'30'